क्0	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहा करें
1	शिक्षण प्रशिक्षण	सभी श्रेणी के मछुओं को मत्स्य पालन तकनीकी एंव मछली पकडने जाल बुनने सुधारने का प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया, प्रशिक्षण भत्ता एवं 400/– मूल्य का नायलोन धागा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्य	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी
2	मछुआ सहकारिता	सभी वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को तालाब की पट्टा राशि मत्स्य बीज क्रय नाव जाल क्रय हेतु ऋण एंव अनुदान पात्रता अनुसार देना ।	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी
3	मत्स्य पालन प्रसार	ऐसे अनुसूचित जनजाति/अनु0 जाति के मत्स्य पालन जो ग्राम पंचायत एंव अन्य शासकीय तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन करते है, उन्हे पट्टा राशि,मत्स्य बीज संचयन, नाव जाल क्रय, खाद एंव दवा आदि क्रय हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है ।	अनुसूचित जनजाति/अनु0 जाति के हितग्राही जो तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन करते हो।	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी
4	बचत सह राहत योजना	बंद ऋतु अवधि में मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना,योजनान्तर्गत चयनित हितग्राहियों को वर्ष के कार्यदिवस के 09 माहों में रू. 50 प्रति माह प्रति हितग्राही के मान से बचत राशि डाक घर/ग्रामीण बैक में जमा करना होगी। इस प्रकार 09 माह में जमा कुल रू. 450 शासन से देय समतुल्य रू. 450 सम्मिलित कर कुल रू. 900 का भुगतान, बंदऋतु के तीन माहो में रू 300 के मान से भुगतान कराया जाता है ।	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी
5	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	मत्स्य पालन कार्य के समय दुर्घटना की स्थिति में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । मत्स्य पालन व्यवसाय से जुडे हितग्राहियों को दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर रू. 25000.00 एंव मृत्यु पर रू. 50000.00 बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को राष्ट्रीय मछुआ सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली द्वारा दावा राशि का बैक ड्राफ्ट प्रदाय किया	सभी वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य एंव अभिरकण के हितग्राही जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में हो।	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी

		जाता है।		
6	पौण्ड कल्चर	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे जो ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर लेकर अभिकरण अन्तर्गत मत्स्य पालन करते हो ऐसे हितग्राहियों को तालाबों में मत्स्य बीज, पूरक आहार, दवाईया एंव पट्टा राशि हेतु रू. 50000.00 एंव तालाब सुधार एंव जलीय वनस्पति सफाई हेतु रू. 75000.00 प्रति हेक्ट0 ऋण उपलब्ध कराया जाता है । उपलब्ध कराये गये ऋण पर सामान्य वर्ग के मछुओ को 20 प्रतिशत एंव अनु.जाति/जनजाति के मछुओं को 25 प्रतिशत की दर से अनुदान देने का प्रावधान है ।	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआरे जिन्हे तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराया गया हो ।	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी
7.	स्वंय की भूमि में तालाब निर्माण	नये तालाब निर्माण हेतु प्रति हेक्टे. रू. 3.00 लाख ऋण राशि बैक द्वारा स्वीकृत कराया जाकर स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत सामान्य वर्ग के कृषक को एंव 25 प्रतिशत अनु0 जनजाति/ अनु0 जाति के कृषकों को अनुदान सहायता प्रदाय की जाती है ।	सभी वर्ग के कृषक (भू–स्वामी)	उप संचालक मत्स्योद्योग,सिवनी

उप संचालक
मत्स्योद्योग
सिवनी